न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अवि गर्ग आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 292/2019

1. प्रदीप पुत्र जीतराम जाति मेघवाल साकिन थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. हरीकृष्ण पुत्र जीतराम जाति मेघवाल साकिन थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।

– – वादी

—:: बनाम ::—

1. पूर्णराम पुत्र भारूराम जाति मेघवाल साकिन थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. दानी देवी पत्नी पूर्णराम जाति मेघवाल साकिन थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. जीतराम पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल साकिन थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. लीलूराम पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल साकिन थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. बलवन्त पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल साकिन थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. सरस्वती पुत्री पूर्णराम जाति मेघवाल साकिन थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री जितेन्द्र मण्ड़ा अधिवक्ता — प्रतिवादीगण 1 ता 6
3. राज पैरोकार — प्रतिवादी संख्या 7

दिनांक :– 29.07.2019

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि वादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है। उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता वादीगण के दादा श्री भारूराम थे।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर पीलीबंगा

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील के चक नम्बर 16 एल.जी.डब्लयू. के खाता संख्या 64 के पत्थर नम्बर 10/299 के किला नम्बर 1 ता 15 की 3.795 हैक्टर, पत्थर नम्बर 9/302 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8 13, 14, 17, 18, 23, 24 की 2.530 हैक्टर इस प्रकार कुल तादादी 6.325 हैक्टर, नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि मुताबिक नकल जमावन्दी सम्वत् 2072–75 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 5 एस.जी.आर के खाता संख्या 85 के पत्थर नम्बर 5/305 के किला नम्बर 6 ता 10 की 1.265 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि मुताविक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

लगातार 2

Scanned by CamScanner

यह कि वाद पत्र की दफा 3–4 में वर्णित कृषि भूमि पूर्व में वादीगण के पड़दादा श्री भारूराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में थी तथा मूल रूप से संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति के आधार पर वादीगण के दादा श्री पूर्णाराम के नाम से खरीद की गई तथा पड़दादा श्री भारूराम के देहान्त के पश्चात रकबा प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित हो चुका है अतः दस्तूर पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सदस्यों ने प्रश्नगत कृषि भूमि का अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से घरु रूप बटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 ने अपना समस्त हक व हिस्सा का हक त्याग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4–5 के हक में मौखिक रूप से कर दिया तत्पश्चात वादी संख्या 1–2 को 7.10 बीघा व प्रतिवादी संख्या 1 को 7.10 बीघा, प्रतिवादी संख्या 5 को 7.10 बीघा प्राप्त हुई। जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से घरु रूप बटवारा हुआ है जो निम्न प्रकार से है :–

(क) वादी संख्या 1–2 को बहिस्सा बराबर घरु बटवारा में प्राप्त कृषि भूमि :–चक नम्बर 16 एल.जी.डब्ल्यु. के मुरब्बा नम्बर 10/299 के किला नम्बर 3/1255, 4 ता 7, 8/1255, 13/1255, 14, 15 तादादी 1.8975 हैक्टर।

(ख) प्रतिवादी संख्या 4 को घरु बटवारा में प्राप्त कृषि भूमि :– चक नम्बर 16 एल.जी.डब्ल्यु. के मुरब्बा नम्बर 9/302 के किला नम्बर 14/1127, 17, 24 की 0.6325 हैक्टर चक 5 एल.जी.आर. के मुरब्बा नम्बर 6 ता 10 की 1.265 हैक्टर।

(ग) प्रतिवादी संख्या 5 को घरु बटवारा में प्राप्त कृषि भूमि :– चक नम्बर 16 एल.जी.डब्ल्यु. के मुरब्बा नम्बर 10/299 के किला 1, 2, 3/1255, 8/1255 9 ता 12, 13/1255 तादादी 1.8975 हैक्टर।

शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुआ।

यह कि वाद पत्र की दफा 5 की उप दफा 'क से ग' में वर्णित रकबा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4, 5 का कब्जा घरु बटवारा के समय से ही बिना किसी वाद विवाद के चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी वादीगण ने फसल काश्त की हुई है लेकिन वर्तमान राजस्व राजस्व अभिलेख में प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने से वादीगण के हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है। इसलिए वादीगण वाद पत्र की दफा 5 की उप दफा 'क से ग' में वर्णितानुसार कृषि भूमि की घोषणा करवाने तथा आपसी खाता तकसीम करवाने के अधिकारी है।

नेक वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वे वादीगण का मुताबिक घरु बटवारा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि की घोषणा करवा देवे तो प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे, परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया बस यही वाद हेतुक है।

प्रतिवादी संख्या 7 मुआल्क है इसलिए उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री वादीगण फरमाया जावे :–

(क) घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 5 की उप दफा 'क से ग' में वर्णित रकबा का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4–5 खातेदार काश्तकार है।

(ख) मुताबिक अनुतोष 'क' वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5 का आपसी खाता तकसीम किया जाकर रकबा सही अलग कायम की जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे।

लगातार 3

अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ... श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होने के कारण दिनांक 29.07.2019 को वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़ने समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी की पहचान श्री हीरालाल बिस्नोलिया अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री जितेन्द्र मण्डा अधिवक्ता द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण में दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्य है दोनो पक्षो द्वारा पूर्व में किये गये पारिवारिक समझौते अनुसार व परिवार के प्रमुख रिस्तेदारों के प्रोत्साहन से परस्पर मुकदमेबाजी नहीं होने देने के लिए स्वेच्छा पूर्ण राजीनामा कर लिया है जो निम्न प्रकार से है :-

(क) वादी संख्या 1–2 को बहिस्सा बराबर घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि :–चक नम्बर 16 एल.जी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 10/299 के किला नम्बर 3/.1265, 4 ता 7, 8/.1265, 13/.1265, 14, 15 तादादी 1.8975 हैक्टर।

(ख) प्रतिवादी संख्या 4 को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि :– चक नम्बर 16 एल.जी. डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 9/302 के किला नम्बर 14/.127, 17, 24 की 0.633 हैक्टर चक 5 एस.जी.आर. के पत्थर नम्बर 6 ता 10 की 1.265 हैक्टर।

(ग) प्रतिवादी संख्या 5 को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि :– चक नम्बर 16 एल.जी. डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 10/299 के किला 1, 2, 3/.1265, 8/.1265 9 ता 12, 13/.1265 तादादी 1.8975 हैक्टर।

शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुआ।

प्रथम पक्ष/वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो पक्षकारान को कोई उजर एतराज नही होगा। राजीनामा पक्षकारान ने अपनी पूर्ण सहमति बिना किसी नशा पता, बिना किसी दवाव बहकाव के स्वतंत्र सहमति किया है। जिसे पक्षकारान ने पढ़, सुन समझ तथा पूर्ण रूप से समझ में आ जाने के बाद सही होना माना है। लिहाजा राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण/प्रथम पक्ष का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा इकबाल दावा प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र की दफा 3–4 में मिन प्रतिवादी के पिता प्रतिवादी सख्या 1 के नाम वर्णित रकबा पैतृक कृषि भूमि है एवं सयुंक्त परिवार की मेहनत एवं श्रम से अर्जितशुदा रकबा है । जिसमे मिन प्रतिवादी का प्रतिवादी संख्या 1 के वादग्रस्त भूमि में हक व हिस्सा बनता है लेकिन घरू बंटवारा के समय ही मिन प्रतिवादी ने अपना समस्त हक व हिस्सा का त्याग अपने भतीजों व भाईयों के हक में स्नेहपूर्वक कर दिया था। मिन प्रतिवादी ने अपना हक व हिस्सा अपने विवाह के उपलक्ष में बतौर स्त्री धन, जेवरात, घरेलू सामान के प्राप्त कर लिया था। मिन प्रतिवादी अपने ससुराल मे खुश एवं प्रसन्न है। इसलिए मिन प्रतिवादी प्रश्नगत रकबा मे से अपना कोई हक व हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है। मिन प्रतिवादी का अपने भतीजों व भाईयों से हार्दिक स्नेह है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जावे जिसमे मिन प्रतिवादी पूर्णतः सहमत है।

अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर पीलीबंगा

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होनें पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए वाद का निर्णय कर डिक्री जारी करनें हेतु निवेदन किया।

लगातार 4

Scanned by CamScanner

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1988 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 8 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–8) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद पत्र में वर्णित आराजी जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है वह जद्दी जायदाद होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

<u>–:: आदेश ::–</u>

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 प्रदीप व वादी संख्या 2 हरीकृष्ण को 1.8975 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 4 को 1.898 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 5 बलवन्त को 1.897 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 प्रदीप व वादी संख्या 2 हरीकृष्ण पुत्रान जीतराम जाति मेघवाल साकिन थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ की बहिस्सा बराबर हक हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
16 एल.जी.डब्ल्यू.	10/299	3/.1265, 4 ता 7, 8/.1265, 13/.1265, 14, 15	1.8975 हैक्टर

Scanned by CamScanner

2. प्रतिवादी संख्या 4 लीलूराम पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल साकिन थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
16 एल.जी.डब्ल्यू.	9/302	14/.127, 17, 24	0.633 हैक्टर
5 एस.जी.आर.	5/305	6 ता 10	1.265 हैक्टर
कुल भूमि :–			1.898 हैक्टर

3. प्रतिवादी संख्या 5 बलवन्त पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल साकिन थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
16 एल.जी.डब्ल्यू.	10/299	1, 2, 3/.1265, 8/.1265 9 ता 12, 13/.1265	1.8975 हैक्टर

आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बंध में निम्न बिन्दुओं की पूर्ण जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे :–

1. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद/स्थगन तो विचाराधीन नहीं है।
2. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार का कोई बकाया ना हो भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त हो।
3. वाद पत्र में वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिंग अधिनियम से प्रभावित न हो।
4. वाद में वर्णित भूमि गैर खातेदार/रकबा राज ना हो
5. वाद पत्र में वर्णित भूमि पर उभयपक्ष के कब्जा सम्बंधी पूर्ण जांच करें।
6. वाद पत्र में वर्णित भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/रास्ता/खाला) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
पीलीबंगा।

Scanned by CamScanner